

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/22-23/06/6317

सेवा में,

श्री आर०बी० सिंह (एडवोकेट)

कमरा नंबर -28 के सामने

कोर्ट कंपाउंड, माती

कानपुर (देहात)-209101

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 08.09.2022 के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 08.09.2022 क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को पावरग्रिड के कानपुर उपकेन्द्र के माध्यम से दिनांक 10.09.2022 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा गांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
1.	गनमैन व सुरक्षा गार्ड की अधिकतम उम्र क्या है ? यदि 60 वर्ष के अधिक उम्र के सुरक्षा कर्मचारी के झूटी के दौरान मृत्यु या हादसा होता है तो ग्रिड वा सुरक्षा एजेंसी किसकी जिम्मेदारी है ?	पावरग्रिड में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति डी०ई०एस०डब्लू० के मानकों के अंतर्गत की जाती है, जिसके अनुसार आयु की अधिकतम सीमा 65 वर्ष है। किसी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होती है और इसके लिए पी०एफ० व ई०एस०आई०सी० का प्रावधान डी०ई०एस०डब्लू० मानकों में किया गया है।
2.	सुरक्षा गार्ड व गनमैन की शारीरिक कुशलता का क्या मापदंड वा कम से कम व 60 वर्ष से अधिक रखने का प्रावधान है। हमें 60 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक की नाम बताने का कष्ट करें।	मांगी गयी जानकारी किसी लोक-क्रियाकलाप या जनहित से सम्बन्ध नहीं रखती। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा -8(1)(j) के अंतर्गत साझा नहीं किया जा सकता है तथापि आपको बताना चाहेंगे कि संविदा कर्मियों की नियुक्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है।
3.	संविदा कर्मों, ठेकेदार के सफाई, माली, विद्युत् लाइन मैन की शारीरिक मापदंड क्या है। तथा अपंग वा 60 वर्ष से अधिक की उम्र वाले का भी विवरण दें।	
5.	संविदा कर्मियों के विषय में आयु व शारीरिक दक्षता, शारीरिक विकलांगता का विवरण व जबाबदेही किसकी है।	

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री आर० नागपाल

कार्यपालक निदेशक,

पावरग्रिड उ०क्षे० - 3

12 राणा प्रताप मार्ग,

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ - 226001

भवदीय,



[राणा प्रताप]

वरि०महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,
पावरग्रिड, लखनऊ